

विवरण

05/08/20

अमिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जंगल झाड़ी भूमि के जमाबन्दीदार

पितरुस खाड़िया वर्गी 0 पिता - आहन खाड़िया को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अमिलेख में संलग्न है। जंगल झाड़ी भूमि के जमाबन्दीदार के पुत्र

राजेश सारंग द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत जंगल झाड़ी भूमि ग्राम किमैसरा खमा

सं० 137 प्लॉट सं० 3 रकबा 2.86 ए० वर्ष 2015-16 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान राजेश सारंग ने अपना लिखित रूप

में आवेदन दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य

कोई कागजात नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अमिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में दर्ज जंगल झाड़ी भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार स्व खैसरा संख्या 72 है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पितरुस

खाड़िया वर्गी 0 पिता - आहन खाड़िया, ग्राम - किमैसरा के नाम से चल रही निम्नांकित जंगल झाड़ी के जमाबन्दीदार संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खैसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
किमैसरा	72	137	2306 1342 2261	0.75 ए० 1.05 ए० 1.06 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड रांची को पत्रांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2020 के कंडिका-5 के उप कंडिका II(ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 के धारा 4(h) के आधार पर जमाबन्दी रद्द किया जाता है।

लेखापित  
अंचल अधिकारी,  
बोलबा।

अंचल अधिकारी,  
बोलबा।